रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14, 1982/श्रावण 23, 1904

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14, 1982/SRAVANA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders, issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1982

का०नि०आ० 196.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1978 में,

(1) नियम 1 के उपनियम (1) में, "1978" अंकों के स्थान पर "1979" अंक रखे जाएंगे;

(2) नियम 3 में,

(क) उपनियम (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

[illegible] ...वालों को वर्ष में कम से कम एक बार या ऐसे [illegible] ... जो महानिदेशक द्वारा विहित किए जाएं। [illegible] ... में एक या एक से अधिक स्थापनों में या आयोग के कार्यालय में जैसा कि महानिदेशक द्वारा विनिश्चित किया जाए, विभिन्न स्थापनों या प्रयोगशालाओं या मुख्यालयों में कार्य करने वाले व्यक्तियों की योग्यता का, उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ बैठकें कर सकेंगे।

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) सेवा को भविष्य में बनाए रखने के लिए नियम 6 के खंड (2) से (6) में विनिर्दिष्ट विभिन्न पद्धतियों के अधीन अधिकारियों का चयन आयोग के परामर्श से वहां के सिवाय किया जाएगा जहां केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाए। सीधी भर्ती द्वारा चयन साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों द्वारा किया जाएगा और अभ्यर्थी अनुसूची 3 के स्तंभ (6) के अधीन आयु सीमा के भीतर होंगे। सेवा में विभिन्न पदों पर इस उपनियम में उल्लिखित पद्धतियों के अधीन नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव मोटे तौर पर अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट रूप में होगा तथापि, विभिन्न पदों के लिए [illegible] अर्हताएं और अनुभव प्रत्येक अवसर पर महानिदेशक द्वारा आयोग से परामर्श करके विहित किए जाएंगे।"

(ग) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(4) नियम 6 के खंड (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी प्रारम्भ में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए

Attested

[signature]

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

जाएंगे जो महानिदेशक के विवेकानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं। जहां प्रतिनियुक्ति की अवधि घटाए जाने का निश्चय किया जाता है वहां महानिदेशक ऐसा करने के अपने आशय की सूचना लिखित रूप में संबंधित अधिकारियों को देगा।

(घ) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्—
नियम 6 के खंड (4) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारी साधारणतः छह वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे तथापि वे एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे संविदा की अवधि महानिदेशक के विवेकानुसार घटाई जा सकती है जहां संविदा की अवधि घटाने का प्रस्ताव किया जाता है वहां महानिदेशक ऐसा करने के अपने आशय की सूचना लिखित रूप में संबंधित अधिकारी को देगा।

छह वर्ष के अन्त में संविदा का नवीकरण किया जा सकता है।

(3) नियम 11 में,

(क) उपनियम (3) में,

(i) "निम्नलिखित टिप्पण में निर्दिष्ट" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) अन्त में आने वाले टिप्पण का लोप किया जाएगा:

(ख) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(6) रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए दक्ष और प्रवीण होने के लिए अधिकारी को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सेवा में नियुक्त अधिकारियों का ऐसा प्रशिक्षण पाने का दायित्व होगा और जिन्हें भारत के भीतर या बाहर ऐसे अनुदेश पाठ्य-क्रमों पर लगाया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय समय पर विनिश्चित किए जाएं। ऐसे प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम के लिए जिसकी अवधि छह मास या उससे अधिक है, लगाए गए अधिकारी या ऐसा अधिकारी जो भारत से बाहर या भारत में प्राइवेट फर्मों या कारखानों में लगाया गया है, प्रशिक्षण की अवधि पर ध्यान दिए बिना, प्रशिक्षण की पूरी लागत वापस करने के लिए दायी होगा यदि वह किसी भी कारण से प्रशिक्षण के दौरान या ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपनी सेवा समाप्त कर देता है।

(4) नियम 15 में "या पदों" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(5) अनुसूची 3 में,

(क) वैज्ञानिक "ग" के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अधिक से अधिक 35 वर्ष।

(सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)"

(ख) वैज्ञानिक "च" के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 5 के सामने, स्तंभ (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अधिक से अधिक 50 वर्ष।

(सरकारी सेवकों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।"

(ग) स्तंभ (1) में, क्रम संख्यांक 8 को क्रम संख्यांक 7 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित क्रम संख्यांक 7 के सामने, स्तम्भ 2 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"ऐसी शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव जो सरकार विहित करे। ये अर्हताएं उनसे कम नहीं होंगी जो वैज्ञानिक 'छ' के लिए विहित है।"

(घ) टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण 4

अनुसूची में उल्लिखित विषयों से भिन्न विषयों में (जिसमें विशेषित क्षेत्र या विषय भी है) ऐसी वृत्तिक या तकनीकी अर्हताएं जो वरिष्ठ पदों और सेवाओं में नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित है, लागू होंगी। ऐसे मामलों में, जहां औपचारिक उपाधि या डिप्लोमा नहीं दिया जाता है या अनुमोदित नहीं किया गया है, शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव वे होंगे जो महानिदेशक, आयोग के परामर्श से, विहित करे।"

[संख्या 10358/अभिक—आर० डी० 21(डी)]

टी०सी० सागर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 1982

S.R.O. 196.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1978, namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1978—

(1) in sub-rule (1) of rule 1, for the figures "1978" the figures "1979" shall be substituted.

(2) in rule 8(a) for clause (a) of sub-rule (2) the following shall be substituted, namely:—

"(a) Assessment Boards shall be convened at least once a year or at such intervals as may be prescribed by the Director General. These Boards may meet as a whole or in parts in one or more establishments or at the office of the Commission as may be decided by the Director General for the purpose of assessing merit of persons serving in different Establishments or Laboratories or Headquarters for promotion to the higher grade."

(b) for sub-rule (3) the following shall be substituted, namely:—

"(3) Selection of officers under the different methods specified in clauses (2) to (6) of rule 6, for future maintenance of service, shall be made in consultation with the Commission except when appointing a Central Government Group 'A' officer on deputation". Selection by direct recruitment shall be by interview or written test or both and the candidates shall be within the age limit as specified under columns (5) of Schedule III. The educational qualifications and experience for appointment to various posts in the Service under the methods mentioned in this sub-rule shall be broadly as specified in Schedule III. However, the specific educational qualifications and experience required for different posts

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

shall be prescribed by the Director General on each occasion in consultation with the Commission".

(c) for sub-rule (4) the following shall be substituted, namely :—

"(4) Officers appointed on deputation by the method specified in clause (4) of rule 6 shall be initially appointed for a period of two years which may be extended or curtailed at the discretion of the Director General. In case where it is proposed to curtail the period of deputation, the Director General shall give notice in writing of his intention so to do to the concerned officers. The maximum period of deputation, shall not exceed five years. However, deputation allowance shall be admissible only for the first four years of deputation".

(d) for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) Officers appointed on contract by the method specified in clause (4) of rule 6 shall ordinarily be appointed for a period of six years. They shall, however, be on probation for a period of one year. The period of contract may be curtailed at the discretion of the Director General. In case where it is proposed to curtail the period of contract, the Director General shall give notice in writing of his intention so to do to the concerned officer. The period of contract may be renewed at the end of six years."

(3) in rule 11,

(a) in sub-rule (3),—

(i) the words "referred to in the Note below shall be omitted;

(ii) Note occurring at the end shall be omitted;

(b) for sub-rule (6) the following shall be substituted, namely :—

"(6) Officers appointed to the Service shall be liable to undergo such training and be detailed on such courses of instruction in India or abroad as may be decided by the Director General from time to time, for the purpose of preparing the officer to become competent and proficient to undertake the Defence Research and Development work. An officer detailed for training or course the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full the cost of training if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, he chooses to discontinue his service.";

(4) in rule 15, the words "or posts" occurring at the end shall be omitted;

(5) in Schedule III—

(a) against Sl. No. 2, relating to the post of Scientist 'C' in column (5), for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Not exceeding 35 years. (relaxable upto 5 years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government).";

(b) against serial No. 5, relating to the post of Scientist 'F', in column (5), for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Not exceeding 50 years (relaxable upto 5 years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government).";

(c) in column (1), serial No. 8 shall be renumbered as serial No. "7" and against serial No. 7 as so renumbered, in column 2, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Such educational qualifications and experience as may be prescribed by the Government but these qualifications shall not be less than those prescribed for Scientist 'G'.";

(d) after Note 3, the following shall be inserted namely :—

"Note 4 : In disciplines (including specialised areas or fields) other than those mentioned in the Schedule, such professional or technical qualifications, as are approved by the Government of India for appointment to superior posts and services shall be applicable. In cases where formal degree or diploma is not being awarded or has not been approved, the educational qualifications and experience shall be such as may be prescribed by the Director General in consultation with the Commission."

[No. 10358/Pers/RD-21(C)]

T. C. SANGAR, Under Secy.

Attested

[signature]

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982